

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 1, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष : डी.एस.मण्डलोई}

व्यवहार वाद क.-08ए/2014
संस्थापन दिनांक -14.05.2010

01. धन्नाबाई पति, स्व. पंचमसिंह, उम्र वर्ष पति, जाति गोड,
साकिन खापा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
02. रायसिंह उर्फ कमलसिंह पिता स्व. पंचमसिंह, उम्र-47 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन खापा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
03. गुलाबसिंह पिता स्व. पंचमसिंह, उम्र-36 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन खापा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
04. अर्जुनसिंह पिता स्व. पंचमसिंह, उम्र-33 वर्ष जाति गोंड,
साकिन खापा हा.मु. जलगांव तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — वादीगण

बनाम

01. सुद्धसिंह पिता स्व. भादूसिंह, उम्र- 55 वर्ष, जाति गोड,
साकिन खापा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
02. प्रतापसिंह पिता स्व. भादूसिंह, उम्र-52 वर्ष, जाति गोंड
साकिन मोवाला तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
03. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
04. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)
05. हरदेव पिता बीरसिंह, उम्र-56 वर्ष जाति गोंड,
निवासी आमगांव तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
06. पांचोबाई पिता बीरसिंह, उम्र 52 वर्ष जाति गोंड,
साकिन बैहर चौकी बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.)
07. नोनीबाई पिता बीरसिंह, उम्र 45 वर्ष जाति गोंड,
साकिन बांदाटोला (लोरा) तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)
08. सुकरीबाई पिता बिसाहू (पति अब्दुल) उम्र 55 वर्ष जाति गोंड,

- साकिन ग्राम शैला तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
09. बजरीबाई पति जोहरसिंह (पिता—बिसाहू) उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन गोरखपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. कुन्नीबाई पति कोपा (पिता—बिसाहू) उम्र 48 वर्ष जाति गोंड,
साकिन झुलुप तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
11. साईबाई पिता बिसन, उम्र—45 जाति गोंड,
साकिन आमगांव, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
12. कमनाबाई पति छोटेलाल (पिता बोधीसिंह) उम्र 70 वर्ष जाति गोंड,
निवासी मोहगांव (पर्रापुर) तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
13. हीरोबाई पिता स्व. पंचमसिंह (पति सम्हारू) उम्र 45 जाति गोंड,
साकिन तुमडीभाट तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
14. बसन्तीबाई पिता स्व. पंचमसिंह (पति संतोष) उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,
साकिन ग्राम केवलारी तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
15. कासनबाई पिता स्व. पंचमसिंह (पति—किसलाल) उम्र 34 वर्ष,
जाति गोंड निवासी भिलेवानी तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

-
1. वादीगण की ओर से श्री जी.एल. गौतम अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 2 के ओर से श्री समीर कुरैशी अधिवक्ता।
3. प्रतिवादी क्रमांक 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 की ओर से श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता।
4. प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 7, 10 एकपक्षीय।
-

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक — 26/09/2014 को घोषित)

- (01)— वादीगण ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि. मं. परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं

खसरा नम्बर 19/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबद् प्रस्तुत किया है।

(02)— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के मूल पुरुष बोधी की दो पत्नियां थी पहली पत्नी से चार पुत्रियां दुलियाबाई, मन्जुबाई, वैशाखीनबाई व कमनाबाई एवं एक पुत्र भादूसिंह और दूसरी पत्नी हंसीबाई का एक पुत्र पंचमसिंह था। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की खानदानी पैतृक भूमि मौजा खापा प.ह. नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ खसरा नम्बर 39 रकबा 12.65, खसरा नम्बर 3 रकबा 25.99 एकड़ मूल पुरुष बोधी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। बोधी की मृत्यु के पश्चात् खानदानी भूमि पुत्र भादूसिंह को खसरा नं. 39 रकबा 12.65 तथा पंचमसिंह को खसरा नं. 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नं. 14/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि हिस्से में आयी तब से दोनों भाई अपने-अपने हिस्से में काबिज होकर कृषि कार्य करते रहे। वादी क्रमांक 1 के पति एवं वादी क्रमांक 1 व 2 के पिता ने बड़े भाई पंचमसिंह से अलग होने के पश्चात् स्वयं की आय खसरा नं. 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि ग्राम खापा के बाला व उसके भाईयों से 1200/- रुपये में उसके बड़े पुत्र कमलसिंह के नाम से क़य कर काबिज है। पंचमसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान पत्नी धन्नाबाई पुत्र रामसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह और पुत्री हीरोबाई, बसन्तीबाई, कासनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण के पिता भादूसिंह के हिस्से की भूमि खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड़ मौजा खापा स्थित भूमि बेचकर वन ग्राम सोंढर चला गया और भादूसिंह ने शासन से प्रतिफल प्राप्त कर शासन से प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य जीवनयापन करने लगा। वादग्रस्त खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि पर वादीगण के पिता पंचमसिंह के हक हिस्से की भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। भादूसिंह की मृत्यु उपरान्त भादूसिंह की वारिसान सुधूसिंह, प्रतापसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार परसवाड़ा से मिलकर वादीगण के हक, हिस्से की भूमि को राजस्व अभिलेख में फोती दाखला कर उनका नाम दर्ज करवा लिया। तहसीलदार परसवाड़ा का आदेश वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है वादग्रस्त भूमि वादीगण हक व हिस्से की है ऐसी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबद् आज्ञा पारित की जावे।

(03)— प्रतिवादीगण ने वादीगण के अभिवचन को अस्वीकार कर खण्डन में अभिवचन किये हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की खानदानी भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा. नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट खसरा नम्बर 46 रकबा 12.04 एकड़ तथा खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ और बाड़ी खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि मूल पुरुष बोधी के नाम पर थी। बोधी की दो पत्नियाँ थी पहली पत्नी मंगलबाई जिसका एक मात्र पुरुष भादूसिंह दूसरी पत्नी हंसीबाई की पुत्रियाँ दुलियाबाई, मंजुबाई, बैशाखीनबाई और कमनाबाई और एक पुत्र पंचमसिंह था। बोधी की पहली पत्नी मंगलीबाई की मृत्यु हो गई और बोधी ने उसके जीवनकाल में ही चारों पुत्रियों का विवाह कर दिया पंचमसिंह का विवाह वादी भादूसिंह ने ही किया। भादूसिंह का गुजर बसर ग्राम खापा में नहीं हो पा रहा था, इसलिये वह ग्राम सोंढर कमाने खाने चला गया, किन्तु पैतृक सम्पत्ति मौजा खापा में आकर खेती करता रहा और फसल लेते रहा। बोधी की मृत्यु के उपरान्त बोधी की दूसरी पत्नी हंसीबाई और उसके पुत्र पंचमसिंह, बोधी की जमीन उनके नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया। खानदानी भूमि का कोई बंटवारा नहीं हुआ दोनों साथ मिलकर कास्त करते थे। भादूसिंह और पंचमसिंह पैतृक भूमि की आय से खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि पंचमसिंह के बड़े पुत्र कलमसिंह के नाम से कय की गई दोनों भाईयों के बीच पारिवारिक बंटवारा होने पर खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि पंचमसिंह के हिस्से में और खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि भादूसिंह को हिस्से में आयी और खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल दोनों ने आधी-आधी बांट ली। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि उनके पिता के जीवन काल में बंटवारे में प्राप्त हुई थी और उनके पिता भादूसिंह के जीवनकाल से ही काबिज है। भादूसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज हुआ है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का हक नहीं है। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(04)— प्रतिवादी क्रमांक 5, 8, 9, 11, 12, 13 एवं 14 ने वादोत्तर प्रस्तुत कर अभिवचन किये हैं कि वादपत्र की कण्डिका 02 में दर्शित वंश वृक्ष स्वीकार है। प्रतिवादीगण भी मूल पुरुष बोधी के सदस्य हैं मूल पुरुष बोधी की दो पत्नियाँ थी। पहली पत्नी हंसीबाई जिसके एक पुत्र पंचमसिंह और चार पुत्रियाँ दुलियाबाई, मंजुबाई, वैशाखीनबाई एवं कामनाबाई थे दूसरी पत्नी मंगलीबाई से दो पुत्र सुद्धसिंह एवं प्रतापसिंह थे दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है पुत्र पंचमसिंह और भादूसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। बोधी की तीन पुत्रियाँ दुलियाबाई, मंजुबाई और

वैशाखीनबाई की भी मृत्यु हो चुकी है एक मात्र पुत्री कामनाबाई ही जीवित है। पंचमसिंह की पत्नी धन्नाबाई वादी क्रमांक 1 एवं पुत्र रायसिंह उर्फ कलमसिंह वादी क्रमांक 2, गुलाबसिंह वादी क्रमांक 3, अर्जुनसिंह वादी क्रमांक 4 तथा पुत्री हीरोबाई प्रतिवादी क्रमांक 13, बसन्तीबाई प्रतिवादी क्रमांक 14, कासनबाई प्रतिवादी क्रमांक 15 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी गोंड जाति के सदस्य है हिन्दू कानून लागू नहीं होता है। गोंडी प्रथा के अनुसार पुत्रियों को पिता की पैतृक सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इस कारण प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के साथ वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ।

(05) प्रतिवादी क्रमांक 3. 4. 7. 10 को विधि के आलोक में पक्षकार बनाया गया है उससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 3. 4. 7. 10 बिना प्रतिरक्षा के प्रस्तुत किए पूर्व से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक 3. 4. 7. 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06)- उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये, जिनके समक्ष विधि एवं साक्ष्य की विवेचना के अनुसार न्यायालय द्वारा निष्कर्ष उल्लेखित है :-

क्र.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वाद कथित भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़, खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ प.ह.नं. 15 मौजा खापा रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि वादीगण के हक मालिकी व कब्जे की भूमि है ?	प्रमाणित नहीं।
2	क्या वादीगण उक्त वाद कथित भूमि पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से दखल दे रहे हैं ?	प्रमाणित नहीं।
3	क्या वादीगण उक्त वाद कथित के सम्बंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं ?	प्रमाणित नहीं।

4	क्या वादीगण नायब तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा रा.प्र.क्रं. 7अ/6 आदेश पारित दिनांक 21.06.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा अपील क्रं. 01अ/6 वर्ष में पारित आदेश दिनांक 26.05.08 प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	प्रमाणित नहीं।
5	क्या पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित न होकर आदिवासी गोंडी प्रथा एवं रूढ़ि से शासित होते हैं ?	प्रमाणित नहीं।
6	क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के अंसयोजन से दूषित है ?	प्रमाणित नहीं।
7	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अन्तिम कण्डिका 18 अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण

(07)— वादी धन्नाबाई (वा.सा.01) के अभिवचन है कि उसके पति स्व. पंचमसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता भादूसिंह की पैतृक खानदानी भूमि खसरा नं. 46 रकबा 12.94 एकड, खसरा नं. 14/24 रकबा 0.40 एकड एवं खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड कुल रकबा 25.99 एकड भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है मूल पूरुष बोधी के जीवन काल में ही खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड भूमि को प्रतिवाद क्रमांक—1 व 2 के पिता भादूसिंह के नाम से शासन से पट्टा प्राप्त कर नाम दर्ज करा दिया था और पंचमसिंह को खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 एकड एवं खसरा नंबर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि हिस्से में आयी थी। बोधीसिंह की मृत्यु के पश्चात दोनों भाई अपने-अपने हिस्से में काबिज है। पंचमसिंह ने उसकी आय से खसरा नंबर 45 रकबा 12.06 एकड भूमि ग्राम खापा के बाला से 1200/— रुपये में दिनांक— 02.12.1967 को क्रय कर उसके बड़े पुत्र रायसिंह उर्फ कलमसिंह के नाम से क्रय कर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता भादूसिंह ने उसके हिस्से की भूमि मौजा खापा स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 12.65 एकड को बाहदर को दिनांक 09.02.1972 को बिक्री कर दी और वन ग्राम सोंढर में रहने चला गया। वर्ष 2007—08 में

प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के परिवार ने उसके हिस्से की खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया और प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने तहसीलदार से मिलकर वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 राजस्व अभिलेखों में फौती दाखिला करवाकर उनके नाम से दर्ज करवा लिया।

(08)— वादी साक्षी धन्नाबाई (वा.सा.01) ने वाद के समर्थन में तहसील परसवाड़ा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ-6/2006-07 आदेश दिनांक 21.06.07 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, वादग्रस्त भूमि का पांचसाला खसरा वर्ष 2012-13 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 एवं पांचसाला खसरा वर्ष 19963-94 से 1995-96 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 तथा भूमि का नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4, पांचसाला खसरा वर्ष 2008-09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5, अनुविभागीय अधिकारी बैहर में प्रस्तुत राजस्व अपील क्रमांक 1अ-6-2008-09 की आदेश पत्रिका दिनांक 08.10.08 से 26.05.09 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6, धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है एवं अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7, राजस्व मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, पांचसाला खसरा वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की नकल है, प्रतिवादीगण द्वारा नायब तहसीलदार परसवाड़ा को पेश बंटवारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता की प्रमाणित प्रतिलिपि, पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 09.02.72 की सत्य प्रतिलिपि पेश की गई है जिस पर विपक्ष विक्रय पत्र प्रदर्श पी-8 है, संशोधन पंजी 2 दिनांक 10.10.72 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-9, संशोधन पंजी क्रमांक 47 दिनांक 15.12.67 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-10, पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 02.12.67 सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-11 प्रस्तुत किये हैं।

(09)— वादी धन्नाबाई के अभिवचनों का समर्थन करते हुए मेहताब (वा.सा.02) एवं सुमेरसिंह (वा.सा.03) तथा मानकराम (वा.सा.04) के भी अभिवचन हैं कि वादी का पति स्व. पंचमसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता भादूसिंह की पैतृक खानदानी भूमि खसरा नं. 46 रकबा 12.94 एकड़, खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ एवं खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड़ कुल रकबा 25.990 एकड़ भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है मूल पुरुष बोधी के जीवन काल में ही खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड़ भूमि को प्रतिवाद क्रमांक 1 व 2 के पिता भादूसिंह के नाम से शासन से पट्टा प्राप्त कर नाम दर्ज करा दिया था और पंचमसिंह को खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नंबर 14/24 रकबा

0.40 डिसमिल भूमि हिस्से में आयी थी। बोधीसिंह की मृत्यु के पश्चात दोनों भाई अपने-अपने हिस्से में काबिज है। पंचमसिंह ने उसकी आय से खसरा नंबर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि ग्राम खापा के बाला से 1,200/- रुपये में दिनांक 02.12.1967 को क़य कर उसके बड़े पुत्र रायसिंह उर्फ करनसिंह के नाम से रजिस्टर विक्रय पत्र निष्पादित कराया और काबिज है प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता भादूसिंह ने उसके हिस्से की भूमि मौजा खापा स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 12.65 एकड़ को बाहदर को दिनांक 09.02.1972 को बिक्री कर दी और वन ग्राम सोंढर में रहने चला गया। वर्ष 2007-08 में प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 के परिवार ने उसके हिस्से की खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने तहसीलदार से मिलकर वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 46 रकबा 12.94 राजस्व अभिलेखों में फौती दाखिला कराकर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने उनका नाम दर्ज करा लिया।

(10)- प्रतिवादी साक्षी सुद्धसिंह (प्रति.सा.01) ने वादीगण के अभिवचनों को अस्वीकार कर खण्डन में अभिवचन किये हैं कि उनके पिता स्व. भादूसिंह एवं उनके काका पंचमसिंह की खानदानी पैतृक भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा, जिला बालाघाट के खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़, खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल कुल रकबा 25 एकड़ थी। खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि उनके दादा बोधीसिंह के नाम की थी तथा खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि उसके पिता भादूसिंह एवं काका पंचमसिंह ने मिलकर खानदानी भूमि की आय से क़य की थी। उसके पिता भादूसिंह को खसरा नम्बर 39 रकबा 12.65 एकड़ शासन ने पट्टे पर दी थी जिससे उसके पिता भादूसिंह ने उनके जीवनकाल में ही जोहरसिंह को बिक्री कर दी थी। उसके पिता भादूसिंह का ग्राम खापा में गुजर बसर नहीं हो पा रहा था तो वह ग्राम सोंढर कमाने खाने चले गये थे और पंचमसिंह उसके दादा बोधी के साथ खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि तथा खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल कमाते थे और फसल लेते थे। बोधीसिंह के फौत होने एवं उनके पिता भादूसिंह एवं दादी हंसीबाई का सोंढर में रहने का फायदा उठाकर राजस्व अभिलेखों में पंचमसिंह ने उसका अकेले का नाम दर्ज करवा लिया। उसके पिता को जानकारी हुई तो उसके पिता ने राजस्व अभिलेख में उनका और हंसीबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाया और उनके वापस खापा में आकर खानदानी भूमि पर कृषि कार्य करने लगे। उसके पिता और काका के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ दोनों शामिल

शरीक कृषि कार्य करते थे और खानदानी भूमि की आय से ही खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि क़य की है और विक्रय पत्र कमलसिंह के नाम से निष्पादित किया है। पारिवारिक बंटवारे में कमलसिंह के नाम से क़य की भूमि पंचमसिंह को बंटवारे में दी गई और खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि भादूसिंह को बंटवारे में दी गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने उनके कथनों का समर्थन में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 18.05.2010 प्रदर्श डी-1 है, अधिकारी अभिलेख वर्ष 1954-55 दिनांक 19.06.2010 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2 है, नक्शा की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 27.12.2008 प्रदर्श डी-3 है, पांचसाला खसरा की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 27.12.2008 प्रदर्श डी-4 प्रस्तुत की है।

(11)— प्रतिवादी सुद्धसिंह के अभिवचनों का समर्थन करते हुए रतनसिंह (प्रति.सा.02) के भी अभिवचन है कि भादूसिंह एवं पंचमसिंह की पैतृक भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा जिला बालाघाट के खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़, खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल कुल रकबा 25 एकड़ थी। खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल भूमि बोधी के नाम से भी खसरा नम्बर 39 रकबा 12.65 एकड़ भूमि पटटे पर कृषि करने के लिये शासन ने भादूसिंह को दी थी जिसे भादूसिंह ने उनके जीवनकाल में ही जोहरसिंह को बेच दी थी। भादूसिंह का ग्राम खापा में गुजर बसर नहीं हो पा रहा था तो वह ग्राम सोंढर कमाने खाने चले गये थे और पंचमसिंह बोधी के साथ खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि तथा खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 डिसमिल कमाते थे और फसल लेते थे। बोधीसिंह के फौत होने पंचमसिंह एवं हंसीबाई का सोढर में रहने का फायदा उठाकर भादूसिंह ने राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज करवा लिया भादूसिंह को जानकारी हुई तो राजस्व अभिलेख में भादूसिंह और हंसीबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ और खापा में आकार खानदानी भूमि पर कृषि कार्य करने लगे। पंचमसिंह एवं भादूसिंह दोनों शामिल शरीक कृषि कार्य करते थे और खानदानी भूमि की आय से ही खसरा नम्बर 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि क़य की है और विक्रय पत्र कमलसिंह के नाम से निष्पादित किया है। पारिवारिक बंटवारे में कमलसिंह के नाम से क़य की भूमि पंचमसिंह को बंटवारे आयी और खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ भूमि भादूसिंह को बंटवारे में दी गई है।

(12)– वादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ वादी क्रमांक 1 व 2 के पिता ने बड़े भाई पंचमसिंह से अलग होने के पश्चात् स्वयं की आय खसरा नं. 45 रकबा 12.06 एकड़ भूमि ग्राम खापा के बाला व उसके भाईयों से 1200/- रुपये में उसके बड़े पुत्र कमलसिंह के नाम से क़य कर काबिज है। पंचमसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान पत्नी धन्नाबाई पुत्र रामसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह और पुत्री हीरोबाई, बसन्तीबाई, कासनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण के पिता भादूसिंह के हिस्से की भूमि खसरा नं. 39 रकबा 12.65 एकड़ मौजा खापा स्थित भूमि बेचकर वन ग्राम सोंढर चला गया और भादूसिंह ने शासन से प्रतिफल प्राप्त कर शासन से प्राप्त भूमि पर कृषि कार्य जीवनयापन करने लगा। वादग्रस्त खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि पर वादीगण के पिता पंचमसिंह के हक हिस्से की भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। भादूसिंह की मृत्यु उपरान्त भादूसिंह की वारिसान सुधूसिंह, प्रतापसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार परसवाड़ा से मिलकर वादीगण के हक, हिस्से की भूमि को राजस्व अभिलेख में फौती दाखला कर उनका नाम दर्ज करवा लिया और कब्जा कर लिया है।

(13)– किन्तु वादी धन्नाबाई (वा.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि बोधी के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पर उसकी सास और पति पंचमसिंह का नाम दर्ज हो गया था। भादूसिंह को मालूम हुआ तो उसने तहसीलदार परसवाड़ा न्यायालय में कार्यवाही तो वादग्रस्त भूमि पंचमसिंह के साथ भादूसिंह का भी नाम दर्ज हुआ। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में भी यह बताया है कि भादूसिंह का नाम पंचमसिंह के साथ शामिल शरीक दर्ज हुआ था दोनों साथ में कमा रहे थे और आधी-आधी फसल रखते थे। कण्डिका 14 में यह बताया है कि गांव में मीटिंग होने के बाद कलमसिंह के भूमि पर पंचमसिंह के वारसान कमाने लगे और बोधी की नाम की भूमि पर भादूसिंह के वारसान कमा खा रहे हैं। वादी साक्षी मेहताब (वा.सा.02) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में यह बताया है कि पंचमसिंह को बंटवारे में खसरा नम्बर 45 की भूमि आयी है और भादूसिंह को खसरा नम्बर 46 की भूमि बंटवारे में आयी है। साक्षी मेहताब ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि भादूसिंह और पंचमसिंह दोनों ने आपस में बंटवारा किया था। वादी साक्षी

सुमेरसिंह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में यह बताया है कि पंचमसिंह और भादूसिंह के बंटवारे के समय वह पैदा भी नहीं हुआ था। वादी साक्षी मानकराम (वा.सा.04) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा 08 में यह बताया है कि उसने शपथ में किसी भी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं कराया है और उसे जानकारी भी नहीं है एवं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि बोधीसिंह के नाम पर की भूमि पर भादूसिंह के वारसान कमा खा रहे हैं और खरीदी गई भूमि पर पंचमसिंह के वारसान कमा खा रहे हैं जब भूमि खरीदी थी भादूसिंह और पंचमसिंह दोनों ग्राम खापा में रहते थे। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार परसवाड़ा का आदेश दिनांक 21.06.2007 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-01, वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पर पंचमसिंह एवं भादूसिंह वल्द बोधीसिंह के स्थान पर प्रतिवादी सुद्धसिंह व प्रतापसिंह पिता भादूसिंह फौती नामान्तरण किया गया है। खसरा वर्ष 2012-13 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-02 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 5.236 सुद्धसिंह व प्रतापसिंह वल्द भादूसिंह को कब्जेदार बताया गया है। पांचसाला खसरा वर्ष 1993-94 से 1995-96 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-03 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ एवं खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पंचमसिंह एवं भादूसिंह वल्द बोधीसिंह का संयुक्त कब्जा इन्द्राज है। पांचसाला खसरा वर्ष 2008-09 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-05 में वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ में सुद्धसिंह व प्रतापसिंह वल्द भादूसिंह का कब्जा होने का उल्लेख है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ प.ह.नं. 15 मौजा खापा राजस्व निरीक्षक मण्डल परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित भूमि वादीगण के हक मालिकी व कब्जे की है यह प्रमाणित नहीं होता। तदानुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 एवं 4 का निराकरण

(14)- वादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वादीगण की जानकारी के वगैर तहसीलदार से वादीगण विधिवत् तामिली के वगैर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में आदेश पारित किया है। आदेश विधि विरुद्ध है। राजस्व अभिलेख में वादी क्रमांक 1 के पति एवं वादी क्रमांक 2 एवं 3 के पिता पंचमसिंह का नाम दर्ज था। राजस्व न्यायालय को वादीगण की पैतृक सम्पत्ति पर हक समाप्त करने का अधिकार नहीं है किन्तु वादीगण अपने

वादपत्र में वादग्रस्त भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाडा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 19/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि उनके हक की है की घोषणा चाही है और नहीं वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाडा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 19/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि का 1/2 भाग अर्थात् बराबर बटवारा के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये हैं। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादग्रस्त भूमि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाडा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 19/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि वादीगण के हक मालिकी व कब्जे की है और प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से दखल दे रहे हैं यह प्रमाणित नहीं होता। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 एवं 4 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 का निराकरण

(15)— विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 के निष्कर्ष के आधार पर वादीगण के पिता पंचमसिंह को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ बंटवारे में हिस्से में आयी थी और वादीगण काबिज है। ऐसा वादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। वादी धन्नाबाई (वा.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि बोधी के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पर उसकी सास और पति पंचमसिंह का नाम दर्ज हो गया था। भादूसिंह को मालूम हुआ तो उसने तहसीलदार परसवाडा न्यायालय में कार्यवाही तो वादग्रस्त भूमि पंचमसिंह के साथ भादूसिंह का भी नाम दर्ज हुआ। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में भी यह बताया है कि भादूसिंह का नाम पंचमसिंह के साथ शामिल सरीक दर्ज हुआ था दोनों साथ में कमा रहे थे और आधी-आधी फसल रखते थे। कण्डिका 14 में यह बताया है कि गांव में मीटिंग होने के बाद कलमसिंह के भूमि पर पंचमसिंह के वारसान कमाने लगे और बोधी की नाम की भूमि पर भादूसिंह के वारसान कमा खा रहे है। वादी साक्षी मेहताब (वा.सा.02) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में यह बताया है कि पंचमसिंह को बंटवारे में खसरा नम्बर 45 की भूमि आयी है और भादूसिंह को खसरा नम्बर 46 की भूमि बंटवारे में आयी है। साक्षी मेहताब ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि भादूसिंह और पंचमसिंह दोनों ने आपस में बंटवारा किया था।

वादी साक्षी सुमेरसिंह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में यह बताया है कि पंचमसिंह और भादूसिंह के बंटवारे के समय वह पैदा भी नहीं हुआ था। वादी साक्षी मानकराम (वा.सा.04) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा 08 में यह बताया है कि उसने शपथ में किसी भी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं कराया है और उसे जानकारी भी नहीं है एवं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह बताया है कि बोधीसिंह के नाम पर की भूमि पर बोधीसिंह के वारसान कमा खा रहे हैं और खरीदी गई भूमि पर पंचमसिंह के वारसान कमा खा रहे हैं जब भूमि खरीदी थी भादूसिंह और पंचमसिंह दोनों ग्राम खापा में रहते थे। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार परसवाड़ा का आदेश दिनांक 21.06.2007 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-01, वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पर पंचमसिंह एवं भादूसिंह वल्द बोधीसिंह के स्थान पर प्रतिवादी सुद्धसिंह व प्रतापसिंह पिता भादूसिंह फौती नामान्तरण किया गया है। खसरा वर्ष 2012-13 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-02 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 5.236 सुद्धसिंह व प्रतापसिंह वल्द भादूसिंह को कब्जेदार बताया गया है। पांचसाला खसरा वर्ष 1993-94 से 1995-96 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-03 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ एवं खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ पंचमसिंह एवं भादूसिंह वल्द बोधीसिंह का संयुक्त कब्जा होने का उल्लेख है। पांचसाला खसरा वर्ष 2008-09 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी-05 में वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ में सुद्धसिंह व प्रतापसिंह वल्द भादूसिंह का कब्जा होने का उल्लेख है। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 14/24 रकबा 0.40 एकड़ प.ह.नं. 15 मौजा खापा राजस्व निरीक्षक मण्डल परसवाड़ा तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित भूमि वादीगण के हक मालिकी व कब्जे की है यह प्रमाणित नहीं होता। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनके अधिकारी है। यह प्रमाणित नहीं होता। तदनुसार विचारणीय बिन्दु 3 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 5 का निराकरण

(16)— वादीगण के अभिवचन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 गोंड जाति के सदस्य हैं और वह गोंड जाति प्रथा से शासित होते हैं हिन्दू विधि उन पर लागू नहीं होती है। इस संबंध में वादीगण ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित

होता हो कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 गोंड जाति प्रथा से शासित होते हैं। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 5 को नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 का निराकरण

(17)– प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया है कि बोधी की दो पुत्री थी और पहली पत्नी की चार पुत्रिया दुलियाबाई, मन्जुबाई, बैशाखीनबाई व कमनाबाई एवं एक पुत्र भादूसिंह तथा दूसरी पत्नी हंसीबाई का एक पुत्र पंचमसिंह था। वादीगण ने पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है। वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने लिखित कथन में आपत्ति ली गई। आदेश दिनांक 27.11.2013 को पैतृक सम्पत्ति पर अंश प्राप्ति एवं कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष वादीगण की ओर से चाहा गया। पैतृक सम्पत्ति से सभी हितवद्ध पक्षकार को वाद में सुनवाई का अवसर दिया जाना वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक होने से वादीगण की ओर से प्रतिवादी क्रमांक 5 से 15 को पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर वाद में वादीगण की ओर से बोधी की पुत्रियों को पक्षकार बनाया गया है इससे भी आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित होना प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

सहायता एवं व्यय –

(18)– विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 एवं 3 व 4 के निष्कर्ष के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि मौजा खापा प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. परसवाडा तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 46 रकबा 12.94 एकड़ एवं खसरा नम्बर 19/24 रकबा 0.40 एकड़ भूमि वादीगण के हक, मालिकी व कब्जे की है यह प्रमाणित नहीं होने से वादीगण का वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

- (अ) वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से निरस्त किया।
- (ब) उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- (स) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या नियमानुसार जो भी कम हो देय हो।

— / / 15 / / —

व्यवहार वाद क.—08ए/2014

तदानुसार जय-पत्र तैयार किया जावे ।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)